[2018] 3 एस सी आर 137

भारती रेड्डी

वी.

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 1763)

मार्च 06,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

भारत का संविधान: कला. 226 - राइट ऑफ क्वो वारंट

कब जारी किया गया-तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ-उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका लिखें जिसमें आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने आय और जाति जारी करने के लिए एक झूठा हलफनामा जमा करके सरकार के साथ धोखाधड़ी की है

एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अनुमति प्राप्त-आय और जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, जाति सत्यापन समिति को मामले पर आगे बढ़ने का निर्देश-याचिका पर अभिनिर्धारित किया गया: जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि पदधारी लोक पद पर नियुक्त होने या निर्वाचित होने के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बिल्कुल भी पात्र नहीं था या उसने उक्त पद पर बने रहने के लिए अयोग्यता प्राप्त की है, जो संतोष निर्विवाद तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, उच्च न्यायालय को यथास्थिति वारंट जारी करने के अनुरोध पर विचार नहीं करना चाहिए-इस प्रकार, उच्च न्यायालय को तब तक यथास्थिति वारंट जारी नहीं करना चाहिए था जब तक कि अपीलार्थी के पक्ष में जारी आय और जाति प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर उसने अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग लिया और निर्वाचित हुई, को जाति जांच समिति द्वारा अमान्य या अमान्य घोषित नहीं किया जाना था-केवल यह तथ्य कि प्रमाण पत्र पांच दिनों की छोटी अवधि में जारी किया गया था।

—

अधिकार क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा जारी आय और जाति प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति के लिए और जब तक यह वैध और लागू है, ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक पद का हड़पने वाला और बिना कानूनी अधिकार के कब्जा करने वाला मानते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-जाति सत्यापन समिति को आय और जाति की वैधता के बारे में जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

प्रमाण पत्र।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद एक है

सार्वजनिक पद जिसके संबंध में यथास्थिति वारंट जारी किया जा सकता है, यदि उस पद पर एक व्यक्ति का कब्जा है जो इस तरह से नियुक्त होने के योग्य नहीं है या पद पर बने रहने के लिए अयोग्यता का कारण बनता है। वास्तव में, जब सार्वजनिक पद से अयोग्य व्यक्ति को हटाने के लिए एक वैधानिक उपाय प्रदान किया जाता है, जो कथित रूप से

सार्वजनिक पद का दुरूपयोग करने पर, रिट अदालत आम तौर पर धीमी गति से काम करेगी। हस्तक्षेप करना, बहुत कम, क्वो वारंट का एक रिट जारी करना। [पैरा 13] [160-बी-सी]

1.2 एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष यह है कि अधिकार क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में की गई थी। अदालत ने यह भी नोट किया कि तारीख के संबंध में कुछ पुनर्लेखन था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने राय दी कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कुछ गंभीर रूप से गलत था, जो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था जो तब चुनाव लड़ सकता था। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी संख्या 5, जिसने उक्त प्रमाण पत्र जारी किया था, को बाद में निलंबित कर दिया गया था, जिसके संबंध में उसके खिलाफ विभागीय जांच लंबित थी।

अपीलार्थी को जारी किया गया स्वयं प्रमाण पत्र। इसके अलावा, उच्च

अदालत ने पाया है कि अपीलार्थी द्वारा दायर दो हलफनामों में विसंगति थी, जो भौतिक वित्तीय जानकारी के दमन और गैर-प्रकटीकरण की प्रकृति में है। अंत में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि की वैधता के बारे में मुद्दा

आय और जाति प्रमाण पत्र जाति के समक्ष लंबित था सत्यापन समिति, जो एक तथ्य खोजने वाली समिति थी, समिति अपने गुण-दोष के आधार पर इसका फैसला करेगी। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने जाति प्रमाण पत्र को अमान्य होने के रूप में रद्द नहीं किया, लेकिन इसे जाति सत्यापन समिति के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए खुला छोड़ दिया। [पैरा 16] [162-डी-एच; 163-ए]

1.3 रिट अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप निर्णय लेने की प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा तक सीमित है न कि स्वयं निर्णय लें। तत्काल मामले में, आय और जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में अंतिम निर्णय

अपीलार्थी को सलाह दी गई है कि उसे खुला रखा जाए, जिससे कानून की दृष्टि से भी ऐसा ही है-भारती रेड्डी बनाम।

और वास्तव में, अभी भी वैध और लागू है। ऐसी वैधानिक धारणा है कि ऐसा जाति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया गया। तथापि, एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा किए गए विचार से जो एकमात्र तर्क निकाला जा सकता है, वह यह है कि अपीलार्थी को कथित प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया गंभीर संदेह से भरी हुई है और इसलिए, प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी है। दूसरे शब्दों में,

जाति प्रमाणपत्र का अस्तित्व या उस मामले के लिए यह तथ्य कि यह प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जारी किया गया है, संदेह या विवाद में नहीं है। यह अपीलार्थी द्वारा गैर-मौजूदा या आधिकारिक रूप से गैर-जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र पर भरोसा करने का मामला नहीं है। इस प्रकार, कथित रूप से अपीलार्थी का पक्ष लेने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा जल्दबाजी में कथित प्रमाण पत्र जारी करने की परिस्थितियों के बारे में जांच करनी होगी। दूसरा पहलू अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दो शपथपत्रों में विसंगतियों के बारे में है और जिसमें उसके सत्यवादी वित्तीय का दमन और गैर-प्रकटीकरण शामिल है। जानकारी दी। [पारस 18-19] [163-D-H]

1.4 निस्सन्देह, ये दोनों पहलू जाति सत्यापन समिति के समक्ष जांच का विषय होंगे।

कथित प्रमाणपत्र की वैधता के सवाल के साथ आंतरिक रूप से मिश्रित किया जा रहा है। अपीलार्थी ने इन दोनों पर स्पष्टीकरण दिया था। विषय हैं। जाति प्रमाण पत्र जारी करने में प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा कथित रूप से प्रदर्शित प्राणघातक जल्दबाजी के तथ्य के बारे में, उन्होंने तर्क दिया कि यह उसी दिन जारी नहीं किया गया था जिस दिन आरोप लगाया गया था, बल्कि उचित जांच के बाद किया गया था। यह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आधिकारिक फाइल से स्पष्ट होता है। जाति प्रमाण पत्र को इस आधार पर अमान्य करने से पहले कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से जाति सत्यापन समिति द्वारा स्पष्टीकरण की जांच करनी होगी। वर्तमान में, यह देखने के लिए पर्याप्त है कि केवल यह तथ्य कि प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख से पांच दिनों की छोटी अवधि में जारी किया गया था, इस निष्कर्ष पर नहीं जाता है कि आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। केवल यह तथ्य कि जाति प्रमाण पत्र उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद भी पांच दिनों की छोटी अवधि के भीतर जारी किया गया है, प्रमाण पत्र को अमान्य करने का कोई उचित आधार नहीं हो सकता है।

जाति सत्यापन समिति द्वारा। उक्त समिति अपीलार्थी की वित्तीय स्थिति और आय, [2018] 3 एस. सी. आर. के संदर्भ में उसकी पात्रता के बारे में तथ्य का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बाध्य होगी।

13 जनवरी, 1995 की अधिसूचना के खंड (ii) के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। उस मामले पर विचार करते समय, समिति को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या अपीलकर्ता या उसके माता-पिता/अभिभावक आयकर निर्धारिती/धन कर निर्धारिती हैं। प्रमाण पत्र। इस तथ्य के संबंध में, जाति सत्यापन समिति को कानून द्वारा ज्ञात अपने उचित परिप्रेक्षय में दोनों हलफनामों की शुद्धता और प्रभावकारिता की जांच करनी होगी। यह भी है

अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि नोट का खंड (ii) दो पहलुओं को प्रस्तुत करता है: पहला यह है कि पदधारी या उसके माता-पिता/अभिभावक में से कोई भी संबंधित समय पर आयकर या धन कर "निर्धारिती" नहीं होना चाहिए। इस खंड में उपयोग की गई अभिव्यक्ति, "एक आयकर निर्धारिती/धन कर निर्धारिती है", यह मानती है कि यह व्यावहारिक रूप से और प्रासंगिक अवधि के लिए है।

दूसरा, पदधारी को अनिवार्य रूप से इसके अंतर्गत आना चाहिए संबंधित कर कानूनों में "निर्धारिती" अभिव्यक्ति दी गई है। कि

संबंधित अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विधान। इस तरह के साक्षय की अनुपस्थिति, आय और जाति प्रमाण पत्र अपीलार्थी को जारी किया गया आदेश अमान्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उसके पति/जीवनसाथी की आय आय और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक प्रासंगिक तथ्य नहीं है। क्योंकि, खंड (ii) केवल तभी लाभ को बाहर करता है जब पदधारी या उसके माता-पिता/अभिभावक में से कोई एक

उनके द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं में वित्तीय जानकारी का खुलासा न करना। किसी भी मामले में, यह आय और जाति प्रमाण पत्र की वैधता के मुद्दे से संबंधित तथ्य और स्वयं का एक विवादित प्रश्न होगा। [पैरा 20-21] [164-A-H; 165-A-F] 1.5 अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में बल है कि ये सभी मुद्दे कथित आय और जाति भारती रेड्डी v की वैधता के प्रश्न की जांच के दौरान विषय वस्तु होंगे।

प्रमाणपत्र, जो जाति सत्यापन समिति के समक्ष लंबित है। यहां तक कि उच्च न्यायालय भी इस स्थिति से अवगत था और शायद, इसलिए, आय और जाति प्रमाण पत्र को अमान्य होने के रूप में रद्द या अलग नहीं किया। पात्रता मानदंडों की पूर्ति के तथ्य के संबंध में धारणाओं, निष्कर्षों या संदेह के आधार पर यथास्थिति वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। एक असाधारण शक्ति होने के नाते, आम तौर पर ऐसी रिट केवल निर्विवाद तथ्यों के आधार पर जारी की जानी चाहिए, जिससे एक एकल निष्कर्ष निकलता है कि पदधारी वास्तव में या कानून में सार्वजनिक पद पर कब्जा करने के लिए अयोग्य था या उसे अयोग्य ठहराया गया है।

वहाँ बने रहें। केवल वहाँ से ऐसा व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद के हड़पने वाले के विवरण के अंतर्गत आएगा। दूसरी ओर, अधिकार क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा जारी आय और जाति प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति के लिए

और जब तक यह वैध और लागू है, वास्तव में और कानून में, ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक पद के हड़पने वाले के रूप में व्यवहार करना और उस पर कब्जा करना।

कानूनी अधिकार के बिना, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने एक निषिद्ध क्षेत्र की जांच में खुद को शामिल करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी जो पहले से ही कार्यवाही का विषय है।

जाति सत्यापन समिति के समक्ष लंबित, यह महसूस किए बिना कि उसके द्वारा की गई टिप्पणियाँ स्वाभाविक रूप से समिति को न्यायपूर्ण और उचित निर्णय लेने से प्रभावित करने के लिए बाध्य थीं।

उसके निर्णय से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेने के लिए उसके अवलोकन की परवाह किए बिना कानून के अनुसार निर्णय। [पैरा 22] [165 जी-एच; 166-ए-डी]

1.6 आश्चर्यजनक रूप से, न तो एकल न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आय और जाति प्रमाण पत्र को अमान्य बताते हुए रद्द करना उचित नहीं समझा। यदि उच्च न्यायालय पूर्ण जांच के बाद रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई उस राहत या अन्य राहत की अनुमति देता है, तो उस दृष्टिकोण की शुद्धता का परीक्षण एक अलग पैमाने पर किया जा सकता था। यह नहीं समझना चाहिए कि इस तरह का पाठ्यक्रम उच्च न्यायालय के लिए खुला था। उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालना बंद कर दिया कि आय और जाति

अपीलार्थी को जारी किया गया प्रमाणपत्र अमान्य है। यह केवल एक व्यक्त किया

प्रथम दृष्टया राय है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अपीलार्थी को आय और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ने एक गंभीर संदेह पैदा किया। सबसे अच्छा, यह देखा गया कि अपीलार्थी ने अधिकार क्षेत्र [2018] 3 एस. सी. आर. पर धोखाधड़ी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

प्राधिकरण और/या उक्त प्राधिकरण ने अपीलार्थी के साथ मिलकर गुप्त रूप से आय और जाति प्रमाण पत्र जारी किया।

अपीलार्थी। लेकिन, आखिरकार, इसने प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में सवाल को जाति द्वारा तय करने के लिए खुला छोड़ दिया है

सत्यापन समिति, लंबित कार्यवाहियों में,

अपीलार्थी को जारी किए गए प्रमाणपत्र की वैधता का तथ्य। यह कहने के बाद, उच्च न्यायालय यथास्थिति वारंट जारी नहीं कर सकता था। वह रिट केवल तभी जारी की जा सकती थी जब आय और जाति प्रमाण पत्र को अमान्य ठहराया गया था या इसे अमान्य कर दिया गया था सक्षम प्राधिकारी द्वारा। [पारस 23-24] [166-ई-एच; 167-ए-बी]

1.7 रिट याचिकाकर्ताओं (उत्तरदाताओं 6 से 9) ने जिस पर सवाल उठाया था, वह उनके द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं की शुद्धता थी। अपीलार्थी अपनी वित्तीय स्थिति और आय के बारे में जो उनके अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक थी और

आय सह जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा लिया गया दृढ़ रुख यह है कि दोनों घोषणाओं के बीच कोई विसंगति नहीं थी, जो प्रासंगिक समय पर अपीलार्थी की अतिरिक्त आय का संकेत नहीं है। यह दिखाने के लिए बहुत कम सामग्री सामने आ रही है कि वास्तव में, अपीलार्थी या उसके माता-पिता/अभिभावकों ने संबंधित वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आयकर या धन कर का भुगतान किया था। यह वास्तव में अपीलार्थी को आय और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से वंचित कर सकता था। अपीलार्थी की यह प्रस्तुति उस व्यवस्था पर आधारित है जिसमें नोट का खंड (ii) रखा गया है और वर्तमान अवधि के दौरान प्रासंगिक कराधान कानूनों के अनुसार केवल एक आयकर निर्धारिती/धन कर निर्धारिती की ओर आकर्षित किया गया है। निर्धारिती वह व्यक्ति होता है जो करों का भुगतान करता है या कर या उसके द्वारा देय किसी अन्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तर्क यह है कि यह तथ्य कि अपीलार्थी को पैन संख्या जारी की गई है या उसने अतीत में कर विवरणी दाखिल की है और कर का भुगतान किया है, इसका कोई परिणाम नहीं होगा और

किसी भी तरह से प्रासंगिक अवधि के लिए आय और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी की पात्रता को बाधित या बाधित नहीं करता है। ये ऐसे मामले हैं जिन पर जाति सत्यापन समिति द्वारा विचार किया जाना है और केवल अगर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो विचाराधीन जाति प्रमाण पत्र को अमान्य किया जा सकता है। जब तक जाति सत्यापन समिति द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक यह मान लेना होगा कि विषय प्रमाण पत्र वैध है और उस आशय को स्पष्ट करने वाले वैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए लागू है।

[पैरा 28] [169-ई-जी; 170-ए-बी] भारती रेड्डी बनाम।

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य

1.8 जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो कि पदधारी वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पात्र नहीं था

सार्वजनिक पद पर नियुक्त या निर्वाचित या उसने उक्त पद पर बने रहने के लिए अयोग्यता प्राप्त की है, जो संतुष्टि निर्विवाद तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, उच्च

न्यायालय को यथास्थिति वारंट जारी करने के अनुरोध पर विचार नहीं करना चाहिए। [पैरा 34] [174-ई]

1.9 उच्च न्यायालय ने इस तर्क को न्यायोचित रूप से नकार दिया था कि

अपीलार्थी जो उच्च न्यायालय द्वारा कथित रिट याचिका में इस आधार पर दी गई अंतरिम राहत पर स्थापित किया गया था कि वह ऐसी कार्रवाई को मान्य नहीं कर सकता जो अवैध थी ताकि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव किया जा सके। उच्च न्यायालय उस रिट याचिका पर कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। [पैरा 35] [175-ई-एफ] 1.10 हालाँकि, इससे उस निष्कर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो इस मामले में किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय तब तक यथास्थिति वारंट जारी नहीं कर सकता था जब तक कि अपीलार्थी के पक्ष में जारी आय और जाति प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर उसने अध्याय के पद के लिए चुनाव में भाग लिया और निर्वाचित हुई, को आयोग द्वारा अमान्य या अमान्य घोषित नहीं किया जाना था।

जाति जाँच समिति। [पैरा 36] [175-जी-एच]

1.11 इस तरह के मामले में, उच्च न्यायालय ने आय और जाति की वैधता के संबंध में मुद्दे को खुला रखा है

क्षेत्राधिकार जाति सत्यापन समिति द्वारा तय किया जाने वाला प्रमाण पत्र और शुरू से ही प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित करने या ऐसा करने का विकल्प चुनने का कोई कानूनी आधार नहीं होने के कारण, इसके बजाय होना चाहिए

जाति सत्यापन समिति को तेजी लाने का निर्देश दिया

समयबद्ध तरीके से जांच करें और उसे समाप्त करें। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम ने केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस मुद्दे पर विचार को लंबा किया है और

पक्षकारों को टालने योग्य कार्यवाही में उलझा दिया। [पैरा 37] [176 ए-बी]

1.12 वर्तमान अपील में विवादित एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसलों को दरकिनार कर दिया जाता है। प्रत्यर्थियों 6 से 9 द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा केवल जाति सत्यापन समिति को प्रत्यर्थी नं. 6 द्वारा अपीलार्थी को जारी आय और जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में जांच में तेजी लाने का निर्देश देकर किया जाता है।

अधिमानत: निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा ही करें। [

176 - सी-डी]

कुरापति मारिया दास बनाम अम्बेडकर सेवा समाज

[2009] 6 एससीआर 498: [2009] 7 एस. सी. सी. 387-पर निर्भर।

के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) और अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य [2010] 6 एससीआर 972: (2010) 7 एससीसी 202

और इंद्र साहनी और अन्य बनाम। भारत संघ

(1992) 3 पूरक। एस. सी. सी. 210; मैसूर विश्वविद्यालय

और एक अन्य बनाम सी. डी. गोविंदा राव और एक अन्य [1964] 4 एस. सी. आर. 575; नवाबखान अब्बासखान बनाम गुजरात राज्य। [1974] 3 एससीआर 427: (1974) 2 एस. सी. सी. 121; के. वेंकटचलम बनाम ए. स्वामीकन 1999 ए. आई. आर. 1723: [1999] 2 एससीआर 857: (1999) 4 एस. सी. सी. 526; अरुण सिंह उर्फ अरुण के. सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य

[2006] 2 एससीआर 1058: (2006) 9 एससीसी 375; बी. आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्र। [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 191 (2001) 7 एस. सी. सी. 331; गुजरात उच्च न्यायालय और ए. एन. आर. वी. गुजरात किसान मजदूर पंचायत और अन्य। [2003] 2 एससीआर 799: (2003) 4 एस. सी. सी. 712; मोर मॉडर्न कूप। ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड बनाम फाइनेंशियल कॉम. & सिकरी।

हरियाणा सरकार को [2002] 1 पूरक। एससीआर 87:

(2002) 6 एस. सी. सी 269; आर. के. जैन बनाम भारत संघ [1993] 3 एससीआर 802: (1993) 4) एस. सी. सी. 119; अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम और

अन्य वी। जगदीश बलराम बहिरा और अन्य

(2017) 8 एससीसी 670: माधुरी पाटिल बनाम कॉम. , जनजातीय विकास [1994] 3 पूरक। एससीआर 50 (1994) 6 एससीसी 241; राजेश अवस्थी बनाम। नंद लाल जयसवाल और अन्य।

[2012] 10 एससीआर 883: (2013) 1 एस. सी. सी. 501; बी. श्रीनिवास

रेड्डी बनाम। कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और

ड्रेनेज बोर्ड कर्मचारी संगठन। [2006] 5 पूरक। एससीआर 462 (2006) 11 एससीसी 731; और हरि बंशलाल बनाम।

सहोदर प्रसाद महतो [2010] 10 एससीआर 561: (2010) 9 एस. सी. सी. 655; पी. आई. एल. के लिए केंद्र बनाम भारत संघ [2011] 4 एस. सी. आर. 445: (2011) 4 एस. सी. सी. 1-संदर्भित।

स्थायी एडन।, पी पर। 647 ; हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण।, खण्ड पुनः प्रकाशित करें। आई, पी। 368 , पैरा 265-निर्दिष्ट।

भारती रेड्डी बनाम. कर्नाटक राज्य और या

मामला कानून संदर्भ

2010] 6 एससीआर 972

पैरा

8

संदर्भित किया गया है

1992) 3 पूरक। एस. सी. सी 210

संदर्भित किया गया है

पैरा

8

1964] 4 एससीआर 575

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

1974] 3 एससीआर 427

पैरा

25

संदर्भित किया गया है

1999] 2 एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा

26

2009] 6 एससीआर 498

उस पर भरोसा करें

पैरा

28

2006] 2 एससीआर 1058

पैरा

29

संदर्भित किया गया है

2001] 3 पूरक। एससीआर 191

संदर्भित किया गया है

पैरा

30

2003] 2 एससीआर 799

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

2002] 1 पूरक। एससीआर 87

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

1993] 3 एससीआर 802

पैरा

31

संदर्भित किया गया है

2017) 8 एस. सी. सी. 670

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

1994] 3 पूरक। एससीआर 50

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

2012] 10 एससीआर 883

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

2006] 5 पूरक। एससीआर 462

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

2010] 10 एससीआर 561

पैरा

33

संदर्भित किया गया है

2011] 4 एससीआर 445

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1

2018 काकर्नाटक उच्च न्यायालय के 2017 के डब्ल्यू. ए. संख्या 5872 में धारवाड़ पीठ के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से (एल. बी.-आर. आई.)

अपीलार्थी के लिए सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, एच. चंद्र शेखर, सुश्री रेखा पी. सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, अपूर्व त्रिपाठी, ए।

डॉ. राजीव धवन, एस. एम. चंदर शेखर, सीनियर एडवोस, एस. महापथी, शरणगौड़ा पाटिल, गिरिस एम. एन., सुश्री सुप्रिता शरणागो मेसर्स के लिए। एस-कानूनी सहयोगी), उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा,

कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ, धारवाड़ पीठ द्वारा 2017 की रिट अपील No.5872 में दिनांक 04.12.2017 द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर आपत्ति जताता है।

2. संक्षेप में कहा गया है, दिनांक 04.12.2015 की अधिसूचना के अनुसार,

चुनाव हुए और अपीलार्थी को कर्नाटक के बेल्लारी जिले के 13-बदनाहट्टी निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुना गया, जो सामान्य (महिला) श्रेणी के लिए आरक्षित था। बाद में, राज्य सरकार ने राज्य में जिला पंचायतों के अध्याय और उप-अध्याय के पद के लिए आरक्षण की घोषणा करते हुए 15.04.2016 पर एक अधिसूचना प्रकाशित की। बल्लारी जिला पंचायत में, अध्याय का पद पिछड़ी जाति-बी की श्रेणी के लिए आरक्षित था।

(महिलाएँ)। उक्त अधिसूचना के बाद, चूंकि अपीलार्थी ने बेल्लारी जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का इरादा किया था, इसलिए उसने आय और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र के तहसीलदार को 22.04.2016 पर आवेदन किया, जो एक प्रमाण पत्र था जो कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने के लिए एक पूर्व शर्त थी। वह प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया गया था

26.04.2016 जिसके आधार पर अपीलार्थी ने 29.04.2016 पर आयोजित चुनाव लड़ा और उसे निर्वाचित घोषित किया गया। कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के संदर्भ में आवश्यकतानुसार

पिछड़े वर्ग (नियुक्ति आदि का आरक्षण) अधिनियम, 1990 और उसके तहत बनाए गए नियमों, आय और जाति प्रमाण पत्र को जिला जाति सत्यापन समिति बेल्लारी को भेज दिया गया है। इसके सत्यापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

3. अपीलार्थी के अनुसार, असफल उम्मीदवारों के कहने पर जो चुनौती देने के लिए कोई चुनाव याचिका दायर नहीं कर सके

अपीलार्थी का चुनाव, प्रत्यर्थी Nos.6 से 9 ने कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जो 2016 की रिट याचिका संख्या 106417 है, जो अपीलार्थी के अध्यक्ष के रूप में चुनाव के लगभग 3 महीने बाद हुई थी। उक्त रिट में लगाए गए आरोप का सार

अपीलार्थी के खिलाफ याचिका यह थी कि उसने आय और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार के समक्ष एक झूठा हलफनामा जमा करके सरकार और जनता के साथ धोखाधड़ी की, जिसके

आधार पर उसने अध्याय जिला के पद के लिए चुनाव लड़ा। पंचायत हुई और उक्त पद के लिए निर्वाचित हुई, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार या योग्य नहीं थी। धोखाधड़ी की प्रकृति के बारे में आरोप आरति रेड्डी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों को किए गए दावों से समझा जा सकता है।

रिट याचिका के आलेख 6 और 7, जो इस प्रकार हैं:

" 6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि छठे उत्तरदाता को हड़पने के लिए

जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद ने प्रस्तुत किया है

नकली और झूठा जाति प्रमाण पत्र यह दिखाने के लिए कि वह संबंधित है

पिछड़े समुदाय के लिए-बी श्रेणी 5 वें उत्तरदाता से प्राप्त की गई। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि छठे उत्तरदाता द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5 वें उत्तरदाता को दायर आवेदन में, उसने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया है कि उसकी आजीविका कृषि है और उसके पास बदनाहट्टी गाँव में 1 एकड़ कृषि भूमि और सी में 3.50 एकड़ भूमि है। यारंगलिगी गाँव में संख्या 36 ए। इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी पारिवारिक आय अन्य सभी स्रोतों से प्रति वर्ष रु. 3,50,000/- से अधिक नहीं है और उनका और उनके पति का आयकर और वाणिज्यिक कर में आकलन नहीं किया गया है। द्वारा की गई उक्त घोषणा

6 उत्तरदाता अपनी जानकारी के लिए पूरी तरह से गलत है, जो बेल्लारी जिला पंचायत आम चुनाव के सदस्य के लिए चुनाव लड़ते समय दूसरे उत्तरदाता के समक्ष छठे उत्तरदाता द्वारा दायर हलफनामे से स्पष्ट है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि छठे उत्तरदाता ने अपने हलफनामे दिनांक 06.02.2016 में घोषणा की कि उन्हें रु। 1,40,000 / - प्रति वर्ष और उसके पति को प्रति वर्ष 4,80,000/- मिलता है, जिसका विवरण पैराग्राफ 4-ए में मिलता है। यह स्वयं दर्शाता है कि केवल एक स्रोत से उसकी पारिवारिक आय 3,50,000/- से अधिक है जैसा कि जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5 वें उत्तरदाता के समक्ष दायर किए गए हलफनामे में घोषित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने दिनांक 1 के उक्त हलफनामे में यह भी घोषणा की है कि उनका और उनके पति का आयकर और वाणिज्यिक कर के लिए आकलन नहीं किया गया है, जो दूसरे प्रतिवादी के समक्ष दायर 2 के हलफनामे में की गई घोषणा के विपरीत भी है कि उनका आयकर के लिए आकलन किया गया है और उन्होंने आयकर का भुगतान किया है।

उक्त शपथपत्र का अनुच्छेद 5। यह भी विश्वसनीय रूप से पता चला है कि छठे उत्तरदाता का पति प्रथम श्रेणी का ठेकेदार है और उसकी आय 500 करोड़ रुपये से अधिक है। 1,00,00,000 / - प्रति वर्ष और आयकर और वाणिज्यिक करों के लिए निर्धारित किया जाता है। 5 वें उत्तरदाता द्वारा जारी किए गए शपथ पत्र दिनांक 06.02.2016,26.04.2016 और जाति और आय प्रमाण पत्र की सही प्रतियां क्रमशः अनुलग्नक-E, F और G के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आयोजित कार्यवाही में

29.04.2016 क्षेत्रीय की अध्यक्षता में आयुक्त, कालबुर्गी प्रभाग, कालबुर्गी, 6 वाँ

श्रेणी-पिछड़े समुदाय-बी के तहत ऊपर कहा गया झूठा जाति और आय प्रमाण पत्र जो था

आवेदन के उसी दिन 5 वें उत्तरदाता द्वारा जारी किया गया

कानून के तहत आवश्यक किसी भी उचित जांच के बिना। ए.

उक्त कार्यवाही की वास्तविक प्रति दिनांक 29.04.2016 प्रस्तुत की जाती है।

इसके साथ-साथ अनुलग्नक-एच।"

(जोर दिया गया)

इन आरोपों के आधार पर, प्रतिवादी Nos.6 से 9 ने प्रार्थना की

उक्त रिट याचिका में निम्नलिखित राहतें दी गई हैं:

" प्रार्थना करें

अत: यह माननीय न्यायालय इस बात से प्रसन्न हो सकता है कि ए। छठे उत्तरदाता को निर्देश देते हुए क्वो वारेंटो का एक रिट जारी करें

अध्याय, जिला पंचायत, बेल्लारी का कार्यालय खाली करें। बी। दिनांक 29.04.2016 वाली कार्यवाही को दरकिनार कर दें। सुम. /

सी। फलस्वरूप छठी को जारी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दें। प्रत्यर्थी ने आवेदन संख्या में दिनांकित 26-04-2016 आदेश के माध्यम से।

डी। इस माननीय के रूप में ऐसे अन्य या आगे के आदेश या निर्देश पारित करें न्याय के हित में न्यायालय उचित समझ सकता है।

(जोर दिया गया)

4. इस रिट याचिका को अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई थी

गोल कि बार को देखते हुए वही बनाए रखने योग्य नहीं था

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ में निहित है। इसके अलावा, रिट

केवल मतदाता थे और इसलिए, उन्हें चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था
अध्याय के रूप में अपीलार्थी, जो एक अप्रत्यक्ष चुनाव था।
7 कर्नाटक पंचायत राज नियमों में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि
पंचायत का कोई सदस्य इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है
अध्याय और उप-अध्याय पर। यह भी बताया गया कि भारती रेड्डी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उक्त प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका एक राजनीति से प्रेरित याचिका थी और असफल उम्मीदवारों के इशारे पर दायर की गई थी जो अपीलार्थी को अध्यक्ष के रूप में चुने जाने से नहीं रोक सके। रिट याचिका में लगाए गए आरोपों के संबंध में कि अपीलार्थी ने गलत घोषणाएं की थीं और गलत हलफनामे दायर किए थे, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में आय और जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था और

1990 के अधिनियम के तहत बनाए गए 1992 के नियमों का सी। उक्त नियम यह स्पष्ट करता है कि प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे क्षेत्राधिकार जाति सत्यापन समिति द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है। अपीलार्थी ने यह भी बताया कि रिट याचिका में अपीलार्थी द्वारा किए गए झूठे या गलत आय प्रकटीकरण के संबंध में लगाया गया आरोप गलत और निराधार था। इस तरह के आरोप दूरगामी तर्क और असमर्थनीय धारणाओं पर आधारित थे। 13 से चुनाव लड़ने के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया 06.02.2016 का हलफनामा बदनाहट्टी निर्वाचन क्षेत्र उसमें बताई गई तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में था। इसी तरह, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.04.2016 पर दायर किया गया हलफनामा भी सही, विश्वसनीय और सटीक था क्योंकि इसमें "बी" श्रेणी (महिला) पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित पद के संबंध में प्रासंगिक समय पर अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यता के संदर्भ में तथ्यों का खुलासा किया गया था। दूसरे शब्दों में, शपथ पत्र और उसमें प्रकट की गई जानकारी दोनों सत्यवादी, सटीक और प्रासंगिक थीं, जैसा कि संबंधित शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी ने यह भी कहा कि यह तथ्य कि आय और जाति प्रमाण पत्र उक्त प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की तारीख से पांच दिनों के भीतर जारी किया गया था या उसी तारीख को 26 अप्रैल, 2016 का हलफनामा तहसीलदार के समक्ष दायर किया गया था, एक पूर्वधारणा, अनुमान या धारणा को जन्म नहीं दे सकता है कि यह आवश्यक और उचित जांच के बिना जारी किया गया था। दूसरी ओर, कानूनी धारणा है कि वही वैध था, जो द्वारा जारी किया गया था

उस संबंध में सक्षम क्षेत्राधिकार तहसीलदार। लगभग 5 बजे ई-टिकट जारी करने के समय की परिस्थितियाँः 27 पी. एम. या हलफनामे की तारीख 26.04.2016 होने के नाते, यह मानने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है कि प्रमाण पत्र धोखाधड़ी था, वैधानिक प्रावधान बनाने के बावजूद।

यह स्पष्ट है कि यह जाति सत्यापन समिति द्वारा रद्द किए जाने तक वैध रहेगा। इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ताओं [2018] 3 एस. सी. आर. द्वारा परिस्थितियों पर भरोसा किया गया।

तथ्य पर कोई निष्कर्ष निकालने के लिए न तो प्रासंगिक थे और न ही पर्याप्त थे, बहुत कम कानूनी निष्कर्ष, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रमाण पत्र था

अपीलार्थी द्वारा की गई आय के संबंध में, ऐसे मुद्दे हैं जो आय और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के साथ आंतरिक रूप से मिश्रित हैं। यह उक्त प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है, इस धारणा पर कि उक्त प्रमाण पत्र कुछ आकस्मिक परिस्थितियों के कारण धोखाधड़ी था, यथास्थिति वारंट जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए बहुत कम है। अपीलार्थी द्वारा यह इंगित किया गया था कि यथास्थिति वारंट की रिट उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक सामान्य शक्ति नहीं है और अधिक, तथ्य के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में। उच्च न्यायालय को ऐसी रिट जारी करने में केवल तभी न्यायसंगत ठहराया जा सकता है जब यह निर्विवाद हो कि निर्वाचित लोक प्रतिनिधि अयोग्य था या चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था या बाद में अयोग्य घोषित किया गया था। किसी भी मामले में, ऐसा व्यक्ति अध्याय जैसे सार्वजनिक पद पर बने रहने को उचित नहीं ठहरा सकता है। यह स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब जाति सत्यापन समिति अपीलार्थी के पक्ष में जारी आय और जाति प्रमाण पत्र को अमान्य और रद्द कर देगी, अन्यथा नहीं। इन दलीलों पर, अपीलार्थी ने रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया।

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ और रिट के स्थान के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र के बार के बारे में प्रारंभिक आपत्ति

अपीलार्थी द्वारा उठाए गए याचिकाकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश की सराहना की, जिन्होंने निर्णय और दिनांक 21.10.2016 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया।

6. रिट याचिका खारिज होने से व्यथित होकर, रिट याचिकाकर्ताओं (प्रतिवादी Nos.6 से 9 तक) ने इस मामले को रिट में रखा।

2016 की अपील No.101459। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया और 05.06.2016 के फैसले और आदेश के माध्यम से रिट अपील की अनुमति दी। इसने मामले को नए फैसले के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास भेज दिया। 7. इसलिए अपीलार्थी ने 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.17059 (2017 की सिविल अपील में परिवर्तित) के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के तहत बार और रिट याचिकाकर्ताओं के स्थान के बारे में प्रारंभिक आपत्ति के साथ-साथ इस तर्क को भी दोहराया गया कि अपीलार्थी के चुनाव को चुनौती देने का एकमात्र उपाय एक चुनाव याचिका होगी।

भारती रेड्डी बनाम. कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अपीलार्थी द्वारा इस निष्कर्ष पर की गई अपील का निपटारा कर दिया कि पंचायत के मतदाता को निवारक नहीं बनाया जा सकता है और यदि वह पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव से व्यथित है, तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत न्यायिक समीक्षा का उपाय माँग सकता है। ऐसी कार्यवाहियों में, उच्च न्यायालय न्यायिक कार्य करने के लिए खुला है

विषय की समीक्षा। अपने फैसले के पैराग्राफ 13 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी सं. द्वारा दायर रिट याचिका। 6 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 9 तक रखरखाव योग्य नहीं है। हालाँकि, यह रिट याचिका पर विचार करने के लिए अनुच्छेद 226/227 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है।"

पैराग्राफ 15 में फिर से, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 15. जैसा कि ऊपर देखा गया है, हालांकि उत्तरदाता संख्या। 6 9 मतदाता जिला पंचायत के सदस्य नहीं हैं। वे अध्याय के कार्यालय में अपीलार्थी के चुनाव से व्यथित हैं। वे चुनाव याचिका दायर करके अध्याय के कार्यालय में अपीलार्थी के चुनाव को चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि वे विचाराधीन जिला पंचायत के सदस्य नहीं हैं। हमारे विचार में, जिला पंचायत के एक मतदाता जो सदस्य नहीं है, उसे संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अध्यक्ष के पद के चुनाव को चुनौती देने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम मानते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या द्वारा दायर रिट याचिका। 6 9 तक

उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय है।"

इस निर्णय के बाद, रिट याचिका की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां समाप्त हो गईं। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर सवाल उठाने का प्रयास किया गया था। मान लीजिए, भले ही अपीलार्थी की दलीलें आकर्षक लगें, लेकिन दोनों पक्षों के बीच निर्णय के संबंध में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

18] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. जो भी हो, इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के आलोक में, पक्षों को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

अदालत। रिमांड पर ली गई रिट याचिका को सुनवाई के लिए लेने से पहले

विद्वान एकल न्यायाधीश, अपीलार्थी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ के समक्ष 2017 की रिट याचिका No.108700 (LB-RES) वाली एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अधिसूचना दिनांक 13.01.1995 के साथ संलग्न नोट को चुनौती दी गई। यह अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 2 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई थी, ताकि नागरिकों के वर्गों को पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत और अधिसूचित किया जा सके। जिला पंचायत, तालुक पंचायत और ग्राम पंचायत में सीटों और अध्यक्ष के पद का आरक्षण। नोट में भविष्यवाणी की गई है कि श्रेणी 'बी' के तहत आने वाला कोई भी व्यक्ति जिले के अध्याय और उप-अध्याय की सीटों और कार्यालय में आरक्षण का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।

पंचायत, तालुक पंचायत और ग्राम पंचायत यदि, अन्य बातों के साथ-साथ, वह /

वह या उसके माता-पिता/अभिभावकों में से कोई एक आयकर निर्धारिती/धन कर निर्धारिती था (खंड 2)। अपीलार्थी द्वारा इस शर्त को के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1 और इंद्र साहनी और अन्य बनाम भारत संघ 2 में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण के अनुरूप बताया गया है। उच्च न्यायालय ने उक्त तर्क से प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने पर अधिसूचना दिनांक 1 में उक्त शर्त (खंड 2) पर अंतरिम रोक लगा दी।

9. प्रतिप्रेषित रिट याचिका पर लौटते हुए, जिससे वर्तमान अपील उपरोक्त रूप में उत्पन्न होती है, उसी पर विद्वान द्वारा सुनवाई की जानी थी

राहत देने के लिए विवाद के गुण-दोष पर एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में यथास्थिति वारंट जारी करने सहित अनुरोध किया। विद्वत एकल न्यायाधीश ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों की जांच करने के बाद और सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मूल फाइल का हिस्सा बनने वाले मूल दस्तावेजों पर ध्यान देने के बाद, 21.09.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से निम्नलिखित राय दी:

" 11. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित हुए ए. जी. ए. 1,3 से 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 6-श्रीमती को जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज दायर किए। भारती रेड्डी ने श्री थिमारेड्डी से इस न्यायालय के अवलोकन के लिए अनुरोध किया।

1. जाति और आय जारी करने के लिए दिनांक 22.04.2016 का आवेदन

प्रमाणपत्र (ज़ेरॉक्स प्रतिलिपि)।

1 (2010) 7 एससीसी 202

2 (1992) पूरक (3) एस. सी. सी. 210 [आराती रेड्डी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]

4. महाजर 5. बयान

6. अधिवक्ता नोटरी के समक्ष शपथ लेने वाले आवेदक का शपथ पत्र

7. आवेदक का पहचान पत्र (जेरोक्सकॉपी) 8. आवेदक का मतदाता पहचान पत्र (ज़ेरॉक्स प्रति)

9. स्थानांतरण प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रति)

10. अध्ययन प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रति)

11.मूल जाति और आय प्रमाण पत्र सं। Sam.Kam.01/06-07 दिनांकित 26.04.2016।

12. आवेदक की भूमि धारण के संबंध में प्रपत्र संख्या 24।

12. दस्तावेजों के अवलोकन पर यह देखा गया है कि 22.04.2016 पर प्रत्यर्थी संख्या 6 ने जाति के मुद्दे के लिए आवेदन दायर किया है और

प्रमाण पत्र; 26.04.2016 पर राजस्व निरीक्षक ने पिछड़ी जाति II (B) में याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है; राजस्व निरीक्षक ने ग्राम लेखाकार के साथ मजार का संचालन किया था और राय दी थी कि पिछड़ी जाति II (B) में याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है; श्रीमती का बयान। सी. भारती, वी. सी. थिम्मा रेड्डी के साथ राजस्व निरीक्षक के समक्ष; का शपथ पत्र श्रीमती. सी. भारती ने वी. सी. थिम्मा रेड्डी के साथ बेल्लारी मुख्यालय के अधिवक्ता नोटरी के समक्ष शपथ ली। रेव. 26.04.2016 पर क्षेत्र; वर्ष 2015 की मूल मतदाता सूची की ज़ेरॉक्स प्रति; मतदाता पहचान पत्र की ज़ेरॉक्स प्रति; स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति; अध्ययन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति और मूल भी।

विशेष तहसीलदार, कुरुगोडु द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 6 की जाति को कापू घोषित किया गया है, जो 26.04.2016 पर पिछड़े वर्ग 'बी' के अंतर्गत आता है, साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रपत्र संख्या 24 का मूल भी है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. जाति प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया है

पांच दिनों में पूरा किया गया, यानी 22.04.2016 पर आवेदन दायर किया गया था।

अवैध कहा जाए, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है प्रत्यर्थी संख्या 6 के लिए। हालांकि, दाखिल किए गए हलफनामे के अवलोकन पर

और उसी दिन जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह है। यह भी देखा कि तारीख 26.04.2016 समाप्त-लिखित है। यह

जारी करने की प्रक्रिया के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है

प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा जाति प्रमाण पत्र।

14. प्रत्यर्थी संख्या 5 एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते

राजस्व विभाग ने जाति प्रमाण पत्र जारी किया है नश्वर जल्दबाजी। प्रत्यर्थी संख्या 6 जिसने ई-टिकट खरीदा था

शाम 5:27 बजे 26.04.2016 पर कागज और उसी दिन वह फाइल करती है

अधिवक्ता नोटरी के समक्ष ई-स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र और वही विशेष तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और

तहसीलदार ने सत्यापन के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रत्यर्थी संख्या 6, के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होने के नाते

जिला पंचायत, बेल्लारी के अध्यक्ष। उसी में पाया जाता है विद्वान ए. जी. ए. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज। इस प्रक्रिया से

यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 5 जिम्मेदार है। अधिकारी ने जाति जारी करने में ध्यान और परिश्रम नहीं किया है

प्रमाण पत्र और एक आकस्मिक कार्य प्रकृति को अपनाया था।

क्या प्रत्यर्थी संख्या 5 का यह लापरवाह रवैया हो सकता है

अवैधता या लापरवाही के रूप में कहा जाना चाहिए अलग कार्यवाही "।

(जोर दिया गया)

फिर से, मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स से निपटने के दौरान, विद्वान न्यायाधीश ने उसी निर्णय में इस मुद्दे का विश्लेषण इस प्रकार किया:

" 35. इस रिट याचिका में मुख्य मुद्दा के आयोजन से संबंधित है जिला पंचायत, बेल्लारी के अध्यक्ष का कार्यालय प्रत्यर्थी सं. 6 और अनुलग्नक-एच को रद्द करने की भी मांग प्रत्यर्थी संख्या 6 को जिला का अध्यक्ष घोषित करने वाली अधिसूचना पंचायत बल्लारी। इसलिए, मलाईदार परत की अवधारणा ऊपर कहा गया है, इस रिट के निपटारे के रास्ते में नहीं आता है।

कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जिला पंचायत, बल्लारी के अध्यक्ष के कार्यालय को खाली करने और अनुलग्नक-एच को रद्द करने के लिए प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ यथास्थिति वारंट जारी करने के लिए दायर याचिका। इसे ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 6 का तर्क सार नहीं रखता है।

36. तत्काल याचिका में यह बताना प्रासंगिक है कि रिट ऑफ क्वो वारंट की प्रक्रिया न्यायालय को संबंधित के खिलाफ सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने के मामले में कार्यकारी कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए अधिकार क्षेत्र और अधिकार प्रदान करती है।

वैधानिक प्रावधान। तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता मतदाता/निर्वाचक मंडल होते हैं और इसी तरह व्हिसल ब्लोअर भी। यह कहना भी प्रासंगिक है कि क्वो वारेंटो की रिट सार्वजनिक पद के अवैध वंचित होने से बचाती है, जिसके लिए उनका अधिकार हो सकता है और यह जनता को ऐसे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के हड़पने से बचाने से भी संबंधित है जो कार्यपालिका की मिलीभगत या उसकी सक्रिय सहायता के परिणामस्वरूप सार्वजनिक पद धारण करने का हकदार नहीं है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5

जिम्मेदार तहसीलदार, कुरुगोडू ने जाति जारी की

प्रत्यर्थी संख्या 6 को प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर वह जिला पंचायत, बेल्लारी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने और चुनाव करने में सक्षम थी। उत्तरदाता संख्या 6 से जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ा गया और चुना गया।

06.2.2016) स्वयं उन्होंने कहा है कि वह एक आयकर निर्धारिती हैं और उन्होंने पैन (स्थायी खाता संख्या) भी प्रस्तुत किया है। हालाँकि, उक्त तथ्य को तहसीलदार, कुरुगोडु (प्रतिवादी) के समक्ष प्रस्तुत किए गए अनुलग्नक-एफ दिनांकित 26.04.2016 के माध्यम से बाद के हलफनामे में दबा दिया गया है। सं. 5) पिछड़े वर्ग बी समुदाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उनके आवेदन के साथ।

XXX

XXX

XXX

XXX

39. प्रत्यर्थी संख्या 6 जो एक लोकतांत्रिक द्वारा चुना जाता है इस प्रकार, वह कापू जाति से संबंधित थी, जो जाति [2018] 3 एस. सी. आर. के अंतर्गत आती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पिछड़े वर्ग-बी श्रेणी, जो में दर्शाई गई है

सरकार की दिनांकित सरकारी अधिसूचना 13.01.1995 कर्नाटक। हालांकि, अब यह मुद्दा लंबित है

जाति सत्यापन समिति और वह मुद्दा नहीं हो सकता है

अनुच्छेद के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के तहत निर्णय लिया गया

226 भारत का संविधान। 40 ..... जबकि तत्काल रिट याचिका में आयकर

प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा दाखिल विवरणी वर्ष से संबंधित है।

2013-14 . लेकिन उसने शपथ पत्र में शपथ ली कि वह एक नहीं है

वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारिती। यह आचरण को दर्शाता है

प्रत्यर्थी संख्या 6 "।

(जोर दिया गया)

अर्थात्, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

" 42. इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ई-स्टाम्प पेपर था

5: 57 बजे 26.04.2016 पर खरीदा गया और जाति सह आय

प्रमाण पत्र उसी दिन जारी किया गया था, जो तथ्य बताता है कि प्रमाणपत्र एक प्राणघातक जल्दबाजी में जारी किया गया था। तदनुसार, यह रिट

के संबंध में क्वो वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर की गई है

अनुलग्नक-एच दिनांक 29.04.2016 के माध्यम से कार्यवाही को रद्द करना और प्रत्यर्थी संख्या 6 को कार्यालय खाली करने का भी निर्देश देना।

43. उत्तरदाता संख्या 6 जिला का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते पंचायत, बेल्लारी के रूप में वे सफल उम्मीदवार चुनी गईं

13 बदनाहट्टी निर्वाचन क्षेत्र से जो सामान्य के लिए आरक्षित था

दिनांक 28.03.2016 की अधिसूचना के अनुसार श्रेणी (महिला)

कर्नाटक राजपत्र में प्रकाशित। जिला के अध्याय का पद

पंचायत पिछड़े वर्ग बी महिला के लिए आरक्षित थी। द.

रुपये. 3,50,000/- पी. ए. वह भी केवल किराये की आय से। यह यह दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 6 सुरक्षित करने के लिए एक शपथ पत्र दाखिल करता है

वास्तविकता या अन्यथा के बारे में गंभीर संदेह जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया। हालांकि,

यह मुद्दा अब जाति सत्यापन आरति रेड्डी बनाम के समक्ष लंबित है।

कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]

समिति, जो एक तथ्य खोज समिति है और होगी

उन्होंने अपने तरीके से फैसला किया। अतः तथ्य का प्रश्न यह है कि इस रिट में प्रत्यर्थी संख्या 6 की जाति के संबंध में

याचिका विचार के लिए नहीं आती है। उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है, क्योंकि

प्रतिवादी संख्या 6 ने उसे सही और उचित परिवार घोषित नहीं किया है।

केवल अध्याय का पद धारण करने के इरादे से आय जो

यह एक सार्वजनिक पद है, इसे पद धारण करने से रोका जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

उक्त निष्कर्ष पर और अपनी राय दर्ज करने के बाद, विद्वान

न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" आदेश

लिखित याचिका की आंशिक रूप से अनुमति है। तदनुसार, दिनांकित प्रक्रियाएँ

29.04.2016 बेयरिंग नं. SUM./KAM/PraHaGu चुनवन/05 / 2016-17 छठे प्रत्यर्थी को जिला का अध्याय घोषित करना

6 अध्याय, जिला पंचायत का कार्यालय खाली करने के लिए प्रतिवादी, बेल्लारी। बाकी प्रार्थनाएँ विचार के लिए नहीं उठती हैं।

और तदनुसार उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है।

विद्वान ए. जी. ए. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेख

07.09.2017 पर उन्हें प्रतिस्थापित करके वापस करने का निर्देश दिया जाता है

ज़ेरॉक्स प्रतियों के साथ।

इस रिट याचिका में की गई टिप्पणियाँ प्रतिबंधित हैं।

इस मामले के निपटारे के लिए और इसका कोई असर नहीं होगा

जाति के समक्ष लंबित मुकदमे के संबंध में

सत्यापन समिति। जाति सत्यापन

समिति स्वतंत्र रूप से जाँच करेगी और

कानून के अनुसार मामले का निपटारा करें।

(जोर दिया गया)

10. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने रिट दायर की

2017 का अल No.5872। रिट याचिकाकर्ता (प्रतिवादी Nos.6 से 9 तक)

एन) ने 2017 की रिट अपील No.100657 के रूप में एक क्रॉस अपील भी दायर की। अपीलों की सुनवाई और निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ, धारवाड़ पीठ द्वारा निर्णय और [2018] 3 एस. सी. आर. द्वारा एक साथ किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांकित 04.12.2017। डिवीजन बेंच ने व्यापक रूप से इस विचार को दोहराया

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित और के निष्कर्ष की पुष्टि कीतथ्यात्मक और कानूनी दोनों मामलों पर एकल न्यायाधीश नियुक्त किया। विश्लेषण करते समय

डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

ऊपर, अपीलार्थी ने अधिकार क्षेत्र के समक्ष एक आवेदन दायर किया 22.04.2016 पर जाति सह आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार

अपीलार्थी को नोटिस जारी कर उसे सुधारने के लिए कहा है दोषों को इंगित किया गया, जिसके अनुसार, अपीलार्थी ने एक दायर किया

भारत, गैर-न्यायिक, कर्नाटक सरकार पर शपथ पत्र,

ई-स्टाम्प पेपर 26.04.2016 पर शाम 5.27 बजे जारी किया गया।

निर्धारित प्रारूप में अपीलार्थी अधिसूचना दिनांक 13.1.1995, जिसके द्वारा खंड-11 में, यह है

कहा गया है कि आवेदक या उनके पिता/माता/अभिभावक हैं

आय कर/धन कर का निर्धारिती नहीं। ये है पेंच

वह बिंदु जिस पर यह तय करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है कि क्या

अपीलार्थी ने संविधान के साथ कोई धोखाधड़ी की है।

(जोर दिया गया)

फिर से पैराग्राफ 36 में, डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया:

" 36. यह विवाद में नहीं है कि अधिकारियों के समक्ष कोई हलफनामा दायर किया गया है

कानून की नजर में पवित्रता है और वही है, अगर गलत पाया जाता है

बयान और गलत निरूपण, यह झूठी गवाही का एक दंडनीय मामला है

आपराधिक कानून के तहत। द्वारा घोषित बयान के आधार पर

अपीलार्थी, क्षेत्राधिकार तहसीलदार ने सत्यापन जारी किया है

प्रमाण पत्र जो प्रमाणित करता है कि अपीलार्थी पिछड़े वर्ग का है

दिनांकित 13.1.1995 अधिसूचना के संदर्भ में वर्ग-बी श्रेणी। यह.

इस बात पर विवाद नहीं है कि बयान अपीलार्थी द्वारा दिए गए थे

ई-स्टाम्प पेपर पर 26.04.2016 पर शाम 5.27 बजे जारी किया जाता है और

अधिकार क्षेत्र के तहसीलदार ने उसी पर प्रमाण पत्र जारी किया है

दिन अर्थात 26.04.2016, आवेदन संख्या 01/16-17 के आधार पर, दिनांकित 25.04.2016। अपीलार्थी द्वारा की गई धोखाधड़ी प्रकट है

क्षेत्राधिकार तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र से।

【 आरती रेड्डी बनाम। कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इन तथ्यों के आधार पर कर्नाटक सरकार ने अब अधिकार क्षेत्र के तहसीलदार को प्रदान करने के लिए निलंबित कर दिया गया

झूठा प्रमाण पत्र। 06.02.2016 पर, अपीलार्थी शपथ लेता है

एक शपथ पत्र कि वह एक आय-कर निर्धारिती है, प्रस्तुत करना

पैन कार्ड का विवरण, बाद में विवरण देते हुए राजस्व निरीक्षक के सामने कि वह पैन कार्ड नहीं है

आयकर निर्धारिती नहीं बल्कि धारक प्रथम दृष्टया साबित करता है

अपीलार्थी का कपटपूर्ण कार्य। उस फाइलिंग के अलावा ए

एक सार्वजनिक पद को हड़पने के लिए झूठा हलफनामा अत्यधिक है

खेदजनक है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि अपीलार्थी जारी रहता है - अध्यक्ष पद संभालें और अध्याय का पद संभालें, उसकी कार्रवाई धोखाधड़ी होगी

संविधान पर "।

(जोर दिया गया)

प्रभाग के विवादित निर्णय का अन्य प्रासंगिक उद्धरण

पैराग्राफ 44 में एच इस प्रकार है:

" 44. जाति से संबंधित मुद्दा, क्या अपीलार्थी कापू जाति से संबंधित है या नहीं, यह तथ्य का एक विवादित सवाल है।

यह सच है कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। जाति को निरस्त करने पर विचार करने के लिए भारत के संविधान का

उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपचार का प्रमाण पत्र

तथ्यों का विवादित प्रश्न शामिल नहीं है और

परिस्थितियाँ असाधारण रिट का आह्वान करती हैं

अधिकार क्षेत्र। इस पर उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए निर्णय

इस स्तर पर प्रार्थना समानांतर कार्यवाही का मनोरंजन करेगी। जो मान्य नहीं है। जाति के निर्धारण की आवश्यकता है

पूर्ण जांच, जैसे कि विद्वान एकल न्यायाधीश

जाति सत्यापन समिति को आगे बढ़ने का निर्देश

मामले में दोष नहीं पाया जा सकता है। आदेश की पुष्टि करना

विद्वान एकल न्यायाधीश, हम जाति सत्यापन समिति को निर्देशित करते हैं

बिना कानून के मामले को आगे बढ़ाने के लिए

समिति इस मामले पर तेजी से फैसला करेगी। नतीजतन, दोनों अपीलें खारिज हो जाती हैं।

(जोर दिया गया)

18] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन और श्री एस. एम. चंदर शेखर को सुना है।
13. यह निर्विवाद है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद एक सार्वजनिक कार्यालय है जिसके संबंध में यथास्थिति वारंट का एक रिट हो सकता है।

जारी किया जाता है, यदि पद पर किसी ऐसे व्यक्ति का कब्जा है जो इस तरह से नियुक्त होने के योग्य नहीं है या पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। वास्तव में, जब अयोग्य व्यक्ति को सार्वजनिक पद से हटाने के लिए एक वैधानिक उपाय प्रदान किया जाता है, जो कथित रूप से सार्वजनिक पद का दुरूपयोग करता है, तो रिट अदालत आम तौर पर हस्तक्षेप करने में धीमी होगी, बहुत कम, यथास्थिति वारंट जारी करने में। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने

मैसूर विश्वविद्यालय का मामला और एक अन्य बनाम। सी. डी. गोविंदा राव और अन्य 3 ने इस प्रकार देखा है।

" 6. उच्च न्यायालय के निर्णय से यह संकेत नहीं मिलता है कि उच्च न्यायालय का ध्यान वर्तमान कार्यवाही में प्रत्यर्थी द्वारा दावा किए गए रिट ऑफ क्वो वारंट की तकनीकी प्रकृति और शर्तों की ओर आकर्षित किया गया था। जिसे किसी रिट के जारी होने से पहले संतुष्ट किया जाना था

कार्यवाही।

7. जैसा कि हैल्सबरी ने देखा है:

एक व्यक्ति के खिलाफ जिसने किसी पद, मताधिकार या स्वतंत्रता का दावा किया या हड़प लिया, यह पूछताछ करने के लिए कि उसने किस अधिकार से अपने दावे का समर्थन किया, ताकि पद का अधिकार या मताधिकार निर्धारित किया जा सकता है। '

8. मोटे तौर पर कहा गया है कि यथास्थिति वारंट कार्यवाही एक

न्यायिक उपचार जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, जो एक

स्वतंत्र मूल सार्वजनिक पद या मताधिकार या स्वतंत्रता, यह दिखाने के लिए कहा जाता है कि वह किस अधिकार से उक्त पद धारण करता है,

मताधिकार या स्वतंत्रता, ताकि उसका शीर्षक विधिवत हो सके

निर्धारित किया जाता है, और यदि निष्कर्ष यह है कि पद के धारक का कोई अधिकार नहीं है, तो उसे न्यायिक आदेश द्वारा उस पद से बेदखल कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, क्वो वारंट की प्रक्रिया न्यायपालिका को कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए एक हथियार देती है।

3 (1964) 4 एससीआर 575 भारती रेड्डी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कानून के खिलाफ सार्वजनिक पद पर नियुक्ति करना और सुरक्षा करना एक नागरिक को सार्वजनिक पद से वंचित होने से जिसके लिए उसने

एक अधिकार। ये कार्यवाहियाँ जनता को इनसे भी बचाती हैं।

सार्वजनिक पद हड़पने वाले, जिन्हें जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है

इसकी उदासीनता। इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि इससे पहले कि कोई व्यक्ति कर सकता है प्रभावी रूप से क्वो वारंट की एक रिट का दावा करता है, उसे संतुष्ट करना होता है

अदालत ने कहा कि विचाराधीन कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है और आयोजित किया जाता है

कानूनी अधिकार के बिना एक हड़पने वाले द्वारा, और यह अनिवार्य रूप से होगा जाँच के लिए नेतृत्व करें कि क्या नियुक्ति

कथित हड़पने वाले को कानून के अनुसार बनाया गया है या नहीं।"

(जोर दिया गया)

14. वर्तमान मामले में मुख्य सवाल यह है: क्या ऊँचे

न्यायालय, वर्तमान मामले के तथ्यों में, इसका आह्वान करने में उचित था

क्वो वारंट जारी करने के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र? आइए हम इस तरह के समर्थन में रिट याचिका में किए गए दावे का विज्ञापन करें

प्रत्यर्थी Nos.6 द्वारा 9 तक दावा की गई राहत। प्रासंगिक पैराग्राफ इस फैसले के पैराग्राफ 3 में निकाले गए हैं, पैराग्राफ 6 हैं। और रिट याचिका के 7. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि अपीलार्थी ने जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद हथियाने के लिए एक फर्जी और झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जो दर्शाता है कि वह पिछड़े समुदाय-बी श्रेणी से संबंधित है, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 5 से गुप्त रूप से प्राप्त किया गया था। इस याचिका के समर्थन में, आरोप का सार यह है कि अपीलार्थी द्वारा उसकी वित्तीय स्थिति और आय के संबंध में एक झूठी, गलत और भ्रामक घोषणा की गई थी। उसमें, 6 फरवरी, 2016 के पहले हलफनामे में उन्होंने घोषणा की थी कि उन्हें रुपये का किराया मिल रहा है। उनके पति को सालाना एक लाख चालीस हजार रुपये का किराया मिल रहा था। चार लाख अस्सी हजार प्रति

वार्षिक। जबकि आय और जाति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन के समर्थन में 26 अप्रैल, 2016 को दायर किए गए दूसरे हलफनामे में उन्होंने कहा कि उसने कहा है कि उसके परिवार की वार्षिक

आय केवल रु। तीन लाख पचास हजार; और वह और उसका पति आयकर और वाणिज्यिक कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह घोषणा अपीलार्थी की जानकारी के अनुसार गलत थी। इसके अलावा, कानून के तहत आवश्यक किसी भी उचित जांच के बिना आवेदन के उसी दिन जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इन दावों पर, [2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ा। हम अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का विज्ञापन कुछ समय बाद करेंगे।

प्रमाण पत्र, जो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था जो तब चुनाव लड़ सकता था। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी संख्या 5, जिसने उक्त प्रमाण पत्र जारी किया था, को बाद में निलंबित कर दिया गया था, उसी के संबंध में उसके खिलाफ विभागीय जांच लंबित थी। अपीलार्थी को जारी प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने पाया है कि अपीलार्थी द्वारा दायर दो हलफनामों में विसंगति थी, जो भौतिक वित्तीय जानकारी के दमन और गैर-प्रकटीकरण की प्रकृति में है। अंत में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि आय और जाति प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में मुद्दा जाति सत्यापन समिति के समक्ष लंबित था, जो कि एक तथ्य खोज थी।

समिति, समिति अपने गुण-दोष के आधार पर इसका फैसला करेगी। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने जाति प्रमाण पत्र को अमान्य होने के रूप में रद्द नहीं किया, लेकिन इसे जाति सत्यापन समिति के लिए आगे बढ़ने के लिए खुला छोड़ दिया

कानून के अनुसार।

17. यह उल्लेख करना उचित है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2016 की रिट अपील No.101459 पर निर्णय लेते समय, निर्णय के माध्यम से

दिनांक 5 जून, 2017 को निर्णय के पैरा 12 में दर्ज किया गया है कि इसमें अपीलार्थी की जाति की स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं है; कि वह "कापू" जाति से संबंधित है, इस पर कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त पर विचार करते हुए, जाति सत्यापन समिति के समक्ष मुद्दा अनिवार्य रूप से अपीलार्थी की आय पात्रता से संबंधित होगा। यह तथ्य और कानून का एक मिश्रित सवाल हो सकता है। संभवतः, इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में जारी आय और जाति प्रमाण पत्र को अमान्य बताते हुए रद्द करना बंद कर दिया।

18. इस पृष्ठभूमि में, विवाद का विश्लेषण करना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उच्च न्यायालय का रिट जारी करना उचित था।

ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। रिट के अभ्यास में हस्तक्षेप करना

अधिकार क्षेत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा तक सीमित है न कि स्वयं निर्णय की। इस मामले में, अपीलार्थी को जारी आय और जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में अंतिम निर्णय को सलाह के साथ खुला रखा गया है, जिससे वही, कानून में और वास्तव में, अभी भी वैध और लागू है। ऐसी वैधानिक धारणा है कि ऐसी जाति

प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे रद्द नहीं कर दिया जाता।

19. दूसरे शब्दों में, जाति प्रमाण पत्र का अस्तित्व या उस मामले के लिए यह तथ्य कि यह प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जारी किया गया है, संदेह या विवाद में नहीं है। यह अपीलार्थी का एक पर निर्भर होने का मामला नहीं है गैर-मौजूदा या आधिकारिक रूप से गैर-जारी जाति प्रमाण पत्र। इस प्रकार, कथित रूप से अपीलार्थी का पक्ष लेने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा जल्दबाजी में कथित प्रमाण पत्र जारी करने की परिस्थितियों के बारे में जांच करनी होगी। दूसरा पहलू अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दो शपथपत्रों में विसंगतियों के बारे में है और जिसमें उसकी सच्ची वित्तीय जानकारी का दमन और गैर-प्रकटीकरण शामिल है।

20. स्वाभाविक रूप से, ये दोनों पहलू जाति सत्यापन समिति के समक्ष जांच का विषय होंगे।

उल्लिखित प्रमाणपत्र की वैधता के प्रश्न के साथ मिश्रित। अपीलार्थी ने इन दोनों मामलों पर स्पष्टीकरण दिया था। प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा जारी करने में कथित रूप से प्रदर्शित प्राणघातक जल्दबाजी के तथ्य के बारे में जाति प्रमाणपत्र, वह तर्क देती है कि यह उसी दिन जारी नहीं किया गया था जिस दिन आरोप लगाया गया था, बल्कि उचित जांच के बाद जारी किया गया था। यह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आधिकारिक फाइल से स्पष्ट होता है। इसमें आवेदन 22 अप्रैल, 2016 को किया गया था, जहां से प्रक्रिया शुरू हुई और फिर 26 अप्रैल को समाप्त हुई।

अप्रैल, 2016। इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता थी क्योंकि 29 अप्रैल, 2016 को होने वाले अध्यक्ष के आसन्न चुनाव लड़ने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उचित प्रक्रिया के आधार पर जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करने से पहले निश्चित रूप से जाति सत्यापन समिति द्वारा इस स्पष्टीकरण की जांच करनी होगी।

इसका पालन नहीं किया गया। वर्तमान में, यह देखने के लिए पर्याप्त है कि केवल यह तथ्य कि प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख से पांच दिनों की छोटी अवधि में जारी किया गया था, इस निष्कर्ष पर नहीं जाता है कि आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। 21. यह तथ्य कि क्या आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं, जाति सत्यापन समिति के समक्ष जांच का एक पहलू होगा, इसके अलावा कि क्या वास्तव में अपीलार्थी आय और वित्तीय मानदंडों को पूरा करता है। केवल तथ्य

यह कि जाति प्रमाण पत्र उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद भी पांच दिनों की छोटी अवधि के भीतर जारी किया गया है, जाति सत्यापन समिति द्वारा प्रमाण पत्र को अमान्य करने का कोई उचित आधार नहीं हो सकता है। उक्त समिति 13 तारीख की अधिसूचना के नोट के खंड (ii) के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की वित्तीय स्थिति और आय के संदर्भ में उसकी पात्रता के बारे में तथ्य का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बाध्य होगी।

जनवरी, 1995। उस मामले पर विचार करते समय समिति को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या अपीलार्थी या उसके माता-पिता / अभिभावक प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को एक आयकर निर्धारिती/धन कर निर्धारिती होता है। इस तथ्य के संबंध में, जाति

सत्यापन समिति को कानून द्वारा ज्ञात अपने उचित परिप्रेक्षय में दोनों हलफनामों की शुद्धता और प्रभावकारिता की जांच करनी होगी। अपीलार्थी के अनुसार, संबंधित समय पर उसके वित्तीय मामलों से संबंधित दो घोषणाओं में उसके द्वारा किए गए खुलासों में कोई विसंगति नहीं है। 6 फरवरी, 2016 का पहला हलफनामा सही है।

इस तथ्य का खुलासा करता है कि अपीलार्थी के पास पैन कार्ड था और वह एक भारतीय रेड्डी v था।

कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]

वित्तीय वर्ष (2015-16) के संदर्भ में वाणिज्यिक कर दाता, जिसके लिए 26 अप्रैल, 2016 को शपथ पत्र दिया गया था। यह भी दावा किया जाता है अपीलार्थी द्वारा कि टिप्पणी का खंड (ii) दो पहलुओं को प्रस्तुत करता है: - पहला यह है कि पदधारी या उसके माता-पिता/अभिभावक में से कोई भी संबंधित समय पर आयकर या धन कर "निर्धारिती" नहीं होना चाहिए। इस खंड में उपयोग की गई अभिव्यक्ति, "एक आयकर निर्धारिती/धन कर निर्धारिती है", यह मानती है कि यह व्यावहारिक रूप से और प्रासंगिक के लिए है।

अवधि। दूसरा, पदधारी को अनिवार्य रूप से संबंधित कर कानूनों में दी गई "निर्धारिती" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आना चाहिए। इसका मतलब केवल एक व्यक्ति है, जिसके द्वारा संबंधित अवधि के लिए अधिनियम के तहत कोई कर या कोई अन्य राशि देय है और अन्यथा नहीं। ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है या सामने नहीं आ रही है कि अपीलार्थी या उस मामले के लिए, उसके पति ने कोई कर का भुगतान किया था या संबंधित कर कानून के तहत संबंधित अवधि के लिए कर या धन राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16। ऐसे साक्षय के अभाव में, अपीलार्थी को जारी आय और जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उसके पति/जीवनसाथी की आय आय और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक प्रासंगिक तथ्य नहीं है। क्योंकि, खंड (ii) केवल तभी लाभ को बाहर करता है जब पदधारी या उसके माता-पिता/अभिभावक में से कोई एक आयकर निर्धारिती या धन कर निर्धारिती हो। यह प्रावधान होना चाहिए

किसी अन्य अयोग्यता के प्रावधान के मामले में सख्ती से व्याख्या की गई। अपीलार्थी यह भी दावा करती है कि उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं में कोई विसंगति नहीं है या उस मामले में वित्तीय जानकारी का दमन या खुलासा नहीं किया गया है। किसी भी मामले में, यह आय और जाति प्रमाण पत्र की वैधता के मुद्दे से संबंधित तथ्य और स्वयं का एक विवादित प्रश्न होगा। 22. अपीलार्थी के अनुसार, जब तक आय और जाति प्रमाण पत्र वैध और लागू है, जिस पर केवल द्वारा संदेह किया गया है

उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा प्राणघातक जल्दबाजी में जारी किए जाने के कारण, मामला वहीं समाप्त होना चाहिए। हम अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में बल पाते हैं कि उक्त आय और जाति की वैधता के प्रश्न की जांच के दौरान ये सभी मुद्दे विषय होंगे।

प्रमाणपत्र, जो जाति सत्यापन समिति के समक्ष लंबित है।

यहां तक कि उच्च न्यायालय भी इस स्थिति से अवगत था और शायद, इसलिए, आय और जाति प्रमाण पत्र को अमान्य होने के रूप में रद्द या अलग नहीं किया। पात्रता मानदंडों की पूर्ति के तथ्य के संबंध में धारणाओं, निष्कर्षों या संदेह के आधार पर यथास्थिति वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। एक असाधारण शक्ति होने के नाते, आम तौर पर ऐसी रिट केवल निर्विवाद तथ्यों के आधार पर जारी की जानी चाहिए जिससे एक एकल निष्कर्ष निकलता है कि पदधारी वास्तव में या कानून में था। सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है या उसमें बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। केवल वहाँ से ऐसा व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद के हड़पने वाले के विवरण के अंतर्गत आएगा। दूसरी ओर, अधिकार क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा जारी आय और जाति प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति के लिए और जब तक यह वैध है और

बल, वास्तव में और कानून में, ऐसे व्यक्ति को जनता के हड़पने वाले के रूप में व्यवहार करना

बिना कानूनी अधिकार के पद और उस पर कब्जा करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने एक निषिद्ध क्षेत्र की जांच में खुद को शामिल करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी, जो पहले से ही जाति सत्यापन समिति के समक्ष लंबित कार्यवाही का विषय है।

उसके निर्णय से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेने के लिए उसके अवलोकन की परवाह किए बिना कानून के अनुसार। 23. आश्चर्यजनक रूप से, न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसे रद्द करना और अलग करना उचित नहीं समझा

आय और जाति प्रमाण पत्र शून्य होने के रूप में। यदि उच्च न्यायालय उस राहत या रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई अन्य राहतों को पूरी तरह से एक पूर्ण जांच के बाद अनुमति देता, तो उस दृष्टिकोण की शुद्धता का परीक्षण एक अलग पैमाने पर किया जा सकता था। हमें तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि हमें यह कहने के लिए नहीं समझा जा सकता है कि इस तरह का पाठ्यक्रम खुला था।

उच्च न्यायालय तक। इस अपील में वह मुद्दा नहीं उठता है। 24. जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालना बंद कर दिया कि अपीलार्थी को जारी किया गया आय और जाति प्रमाण पत्र अमान्य है। यह.

केवल एक प्रथम दृष्टया राय व्यक्त की कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अपीलार्थी को आय और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ने एक गंभीर संदेह पैदा किया। सबसे अच्छा, यह पाया गया कि अपीलार्थी ने अधिकार क्षेत्र प्राधिकरण और/या उक्त प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अपीलार्थी के साथ गुप्त रूप से

अपीलार्थी को आय और जाति प्रमाण पत्र जारी करना। लेकिन, अंत में, यह भारती रेड्डी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रमाणपत्र की वैधता के बारे में सवाल को जाति सत्यापन समिति द्वारा तय करने के लिए खुला छोड़ दिया है।

अपीलार्थी को जारी किए गए प्रमाणपत्र की वैधता के तथ्य से संबंधित कार्यवाहियाँ। यह कहने के बाद, उच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता था क्वो वारेंटो का एक रिट। वह रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब आय और जाति प्रमाण पत्र को अमान्य ठहराया गया हो या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अमान्य किए जाने के बाद।

25. एक शून्य और शून्य आदेश के बीच का अंतर कोन था

नवाबखान अब्बासखान बनाम गुजरात राज्य के मामले में पक्षपाती। अदालत ने रुबिनस्टीन के इस कथन पर ध्यान दिया कि जब कोई कार्य अमान्य नहीं होता है, तो वह अमान्य होता है और किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष और जब भी उस पर भरोसा किया जाता है, किसी भी कार्यवाही में उसकी उपेक्षा की जा सकती है और उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है

दूसरे शब्दों में, इसे 'संपार्श्विक हमले' के अधीन बनाया जाता है। अदालत ने

पर। यह देखा गया कि अधिकारियों के अवैध कार्य, यदि स्व-निर्धारित शून्यता की अवहेलना की जा सकती है, तो चौंका देने वाले परिणाम सामने आएंगे। हालांकि, यह एक उन मामलों के अपवाद जहां आदेश प्रभावित पक्ष को सुने बिना क्षेत्राधिकार प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाता है, जिसमें प्रभावित पक्ष को संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को नुकसान पहुंचाता है। इसने अभिनिर्धारित किया कि इस तरह के आदेशों को शुरू से ही पक्षों को बांधने के लिए अमान्य और अप्रभावी माना जा सकता है। हाथ पर ऐसा नहीं है। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि विचाराधीन मामले जैसे मामलों में, आय और जाति प्रमाण पत्र को केवल प्रमाण पत्र धारक को अवसर देने के बाद ही अमान्य किया जा सकता है। पैराग्राफ 18 में न्यायालय द्वारा संक्षेपित कानूनी स्थिति को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगाः

" 18 .
..... निर्णय सेना होते हैं जहां शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तों का उल्लंघन किया गया है और आदेश का इलाज किया गया है।

जब एक अंतिमता खंड मौजूद हो। क्रम में 'अचूक' हो जाता है त्रुटि ', की संकर जानवर की तरह एक अजीब कानूनी घटना

शून्य शून्यता जिसके लिए, एक विद्वान लेखक के अनुसार, भगवान

डेनिंग काफी हद तक जिम्मेदार है। इस शाखा में कानूनी अराजकता

न्यायशास्त्र के सरल विकास से बचा जाना चाहिए।

न्यायिक कानून बनाने के बजाय कानून बनाने से पूरा होगा अधिक आवश्यकताएँ हैं। एकमात्र सुरक्षित मार्ग, सरल होने तक

4 (1974) 2 एस. सी. सी 121 [2018] 3 एस. सी. आर.

और निश्चित रूप से एक विधायी स्रोत से प्रकाश डाला जाता है, इलाज करने के लिए है

शुरू से ही पार्टियों को बांधने के लिए शून्य और अप्रभावी के रूप में, पक्ष को सुने बिना किया गया कोई आदेश प्रभावित होता है यदि

चोट एक संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार के लिए है। अन्य में

प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में आदेश शून्य है

न्यायालय द्वारा बचने के लिए उत्तरदायी होने की सीमित भावना पूर्वगामी बल "।

(जोर दिया गया)

चूंकि विषय प्रमाण पत्र अभी भी क्षेत्र रखता है और जब तक यह अमान्य नहीं हो जाता है

सक्षम प्राधिकारी द्वारा, यह समझ से परे है कि कैसे कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने कानूनी प्राधिकरण के बिना सार्वजनिक पद पर कब्जा कर लिया था ताकि यथास्थिति का आदेश जारी करने की असाधारण रिट अधिकारिता का आह्वान किया जा सके।

वारंटी।

26. के. वेंकटचलम बनाम ए. स्वामीकन में चुनौती थी

नाडू ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट के माध्यम से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार (उसमें प्रतिवादी) द्वारा एक घोषणा के लिए दायर किया कि अपीलार्थी तमिलनाडु विधानसभा का सदस्य होने के योग्य नहीं था, क्योंकि वह विचाराधीन आम चुनावों के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में एक निर्वाचक के रूप में नामांकित नहीं था। न्यायालय ने तथ्यात्मक मैट्रिक्स का विश्लेषण किया जिसमें कहा गया था कि, निश्चित रूप से, पदधारी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं था और उसने स्पष्ट रूप से और धोखाधड़ी से खुद को निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य निर्वाचक के रूप में प्रस्तुत किया। निर्वाचन क्षेत्र। उस निर्विवाद स्थिति को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का पात्र नहीं था, न कि उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होने के नाते। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसमें अपीलार्थी के पास 1951 के अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 के खंड (सी) के तहत बुनियादी योग्यता का अभाव है, जो इस अधिनियम से चुने जाने के लिए सर्वोत्कृष्ट था।

अपीलार्थी के लिए लागू है। 5 ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1723 = (1999) 4 एस. सी. सी. 526 भारती रेड्डी बनाम।

दूसरा, अध्यक्ष के रूप में, जो चुनाव केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए उपलब्ध था। अनुच्छेद 32 में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर, अदालत ने अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि जाति और उसके चुनाव का सवाल इतना अटूट रूप से जुड़ा हुआ है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है और इसलिए, जब रिट याचिकाकर्ताओं ने अपीलार्थी को इस आधार पर जारी रखने को चुनौती दी कि वह किसी विशेष जाति से संबंधित नहीं है, जिसे उन्होंने वास्तव में चुनौती दी थी, हालाँकि अपीलार्थी के चुनाव की वैधता थी।

जाहिरा तौर पर, याचिका एक रिट ऑफ क्वो वारंट के लिए थी।

28. हम इस प्रदर्शनी से सहमत हैं। यह हाथ पर मामले के सभी चौकों पर लागू होता है। जहाँ तक, रिट याचिकाकर्ताओं (उत्तरदाताओं 6 से

अपीलार्थी का कहना है कि दोनों घोषणाओं के बीच कोई विसंगति नहीं थी, जो प्रासंगिक समय पर अपीलार्थी की अतिरिक्त आय का संकेत नहीं है। हमारी राय में, यह दिखाने के लिए आने वाली सामग्री का कोई सार नहीं है कि वास्तव में, अपीलार्थी या उसके माता-पिता/अभिभावकों ने संबंधित वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आयकर या धन कर का भुगतान किया था। यह वास्तव में अपीलार्थी को आय और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से वंचित कर सकता था। अपीलार्थी की यह प्रस्तुति उस व्यवस्था पर आधारित है जिसमें नोट का खंड (ii) रखा गया है और वर्तमान अवधि के दौरान प्रासंगिक कराधान कानूनों के अनुसार केवल एक आयकर निर्धारिती/धन कर निर्धारिती की ओर आकर्षित किया गया है। निर्धारिती वह व्यक्ति होता है जो करों का भुगतान करता है या कर या उसके द्वारा देय किसी अन्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। 6 (2009) 7 एससीसी 387 [2018] 3 एस. सी. आर.

तर्क यह है कि तथ्य यह है कि अपीलार्थी को पैन जारी किया गया है

संख्या या जिसने अतीत में कर विवरणी दाखिल की है और कर का भुगतान किया है, उसका कोई परिणाम नहीं होगा और यह किसी भी तरह से प्रासंगिक अवधि के लिए आय और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी की पात्रता को बाधित या बाधित नहीं करता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये ऐसे मामले हैं जिन पर जाति सत्यापन समिति द्वारा विचार किया जाना है और केवल अस्वीकार किए जाने पर, जाति

29. अरुण सिंह उर्फ अरुण केआर के मामले में। सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य ', इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया यथास्थिति वारंट जारी करने वाला न्यायालय, इस आधार पर कि पुलिस अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट या उस मामले के लिए राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा पारित आदेशों से यह स्पष्ट नहीं था, इस तथ्य का संकेत देता है कि उसमें अपीलार्थी को सेवा नियमों के अर्थ के भीतर कोई कदाचार करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था। पैराग्राफ 13 में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

..... कोई ठोस या पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं।

" 13 .

राज्य निर्वाचन आयोग के सुविचारित आदेश को निरस्त करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा। इसके अलावा, एक रिट जारी करना

केवल एक स्पष्ट निष्कर्ष पर जारी किया गया कि एक को नियुक्ति सार्वजनिक पद क़ानून के विपरीत था। उक्त प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय की ओर से यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य था कि धारा 139 (1) (च) में निहित अयोग्य ठहराने वाला खंड अपीलार्थी के मामले में स्पष्ट रूप से आकर्षित था,

राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश। जाहिर है कि

अपीलार्थी को अयोग्य नहीं ठहराया गया था।

30. बी. आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य और Anr.[3]

संविधान पीठ को उस स्थिति पर विचार करने के लिए कहा गया था जहां एक व्यक्ति को आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और जिसकी दोषसिद्धि को अपील लंबित रहने तक निलंबित नहीं किया गया है, वह किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकता है और इस तरह से कार्य करना जारी रख सकता है। अदालत को बुलाया गया था

निर्विवाद तथ्य के आधार पर विवाद का जवाब देने के लिए कि निवर्तमान मुख्यमंत्री को पहले ही एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जा चुका था 6 (2009) 7 एस. सी. सी. 387

(2006) 9 एस. सी. सी. 375 भारती रेड्डी बनाम।

बाड़ और इस तरह की सजा को लंबित में निलंबित नहीं किया गया था

रिमिनल अपील। संविधान के अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 73 के उद्देश्य पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मुख्यमंत्री के रूप में अपील में दूसरे प्रतिवादी की नियुक्ति स्पष्ट थी

संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन और इस प्रकार यथास्थिति का एक रिट

अरांतो अपरिहार्य था। प्रदर्शनी का आधार था

मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त या बने रहने के लिए व्यक्ति की बुनियादी अयोग्यता। बृजेश कुमार द्वारा एक सहमति निर्णय में, जे. (उनके रूप में)

अध्यादेश तब था) क्वो वारंट के रिट की प्रकृति रही है

निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया:

" 79. ..... एक रिट ऑफ क्वो वारंट एक रिट है जो उस व्यक्ति के खिलाफ है, जो रिलेटर के अनुसार एक रिट रखने का हकदार नहीं है।

सार्वजनिक प्रकृति का पद और केवल कार्यालय का हड़पने वाला है। यह वह व्यक्ति है, जिसके खिलाफ यथास्थिति वारंट की रिट निर्देशित की जाती है, जो है

यह दिखाने की आवश्यकता है कि वह व्यक्ति किस अधिकार से पद धारण करने का हकदार है। चुनौती विभिन्न आधारों पर दी जा सकती है, इन आधारों को शामिल करते हुए कि पद का स्वामी आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं करता है या किसी भी अयोग्यता से पीड़ित है, जो व्यक्ति को ऐसे पद पर रहने से रोकता है। ताकि यथास्थिति वारंट के लिए कार्यवाही में कार्रवाई की प्रकृति और इसके मूल रूप के बारे में एक विचार हो, जैसा कि यह हुआ करता था, शब्दों और वाक्यांशों, स्थायी संस्करण से उद्धृत करना फायदेमंद होगा। , खण्ड. 35 - ए, पी। 648. वह इस प्रकार है:

" क्वो वारेंटो का मूल सामान्य कानून रिट क्राउन के मुकदमे में एक दीवानी रिट था, न कि आपराधिक अभियोजन। यह. यह राजा द्वारा मताधिकार या देनदारियों को हड़पने या दावा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अधिकार के एक रिट की प्रकृति में था, यह पूछताछ करने के लिए कि उसने उन पर किस अधिकार का दावा किया था। हालाँकि, यह रिट सदियों पहले इंग्लैंड में उपयोग में नहीं आया था, और इसका स्थान एक क्वो वारंट की प्रकृति में एक जानकारी द्वारा प्रदान किया गया था, जो इसके मूल में अभियोजन का एक आपराधिक तरीका था, साथ ही हड़पने वाले को मताधिकार के हड़पने के लिए जुर्माने से दंडित करने के लिए, उसे बाहर करने या क्राउन के लिए इसे जब्त करने के लिए। हालाँकि, हमारी क्रांति से बहुत पहले, इसने रूप को छोड़कर हर चीज में एक आपराधिक कार्यवाही के रूप में अपना चरित्र खो दिया था, और केवल नागरिक अधिकार का प्रयास करने, मताधिकार को जब्त करने, या गलत मालिक को बाहर करने के

उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था, जुर्माना केवल नाममात्र था; और ऐसा, उस प्रभाव के लिए किसी विशेष कानून के बिना, हमेशा [2018] 3 एस. सी. आर. रहा है।

संघ के कई राज्यों में इसका चरित्र, और इसलिए यह है केवल एक नागरिक उपचार "।

80. शब्दों और वाक्यांशों के समान खंड में, स्थायी एडन।,

पी पर। 647 हम निम्नानुसार पाते हैं:

" 'क्वो वारंट' की रिट मैंडमस का विकल्प नहीं है।

कानूनी रूप से शक्ति के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए उपयोग किया जाए अधिकृत, और इसका उद्देश्य केवल एक अधिकारी को रोकना है या

निगम या व्यक्ति जो हड़पने से इस तरह का कार्य करने का इरादा रखते हैं

पद धारण करना या मताधिकार का प्रयोग करना, और उद्देश्य के लिए नहीं आधिकारिक कर्तव्यों को निर्धारित करना या निर्धारित करना, लेकिन केवल

पता लगाएँ कि क्या वह व्यायाम करने का अधिकार रखता है

दावा किए गए कार्य। राज्य के पूर्व इं. वाल्श बनाम। थैचर 1 0 "।

(जोर दिया गया)

81. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, चौथा संस्करण।, खण्ड पुनः प्रकाशित करें। आई, पी। 368 , पैरा 265 में यह निम्नानुसार पाया गया है:

“ 265. सामान्य तौर पर। — एक क्वो की प्रकृति में एक जानकारी वारन्टो ने क्वो वारन्टो के अप्रचलित रिट का स्थान ले लिया

जो उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने दावा किया या हड़प लिया

पद, मताधिकार, या स्वतंत्रता, यह पूछताछ करने के लिए कि वह किस अधिकार से पूछताछ करता है

अपने दावे का समर्थन किया, ताकि कार्यालय का अधिकार या

मताधिकार निर्धारित किया जा सकता है।”

31. गुजरात उच्च न्यायालय और ए. एन. आर. के मामले में। बनाम गुजरात

किशन मजदूर पंचायत और Ors.[11] (ऊपर) एक सहमति में

निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. (उस समय उनके अधिपति के रूप में) ने उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय को इस प्रकृति के मामले में अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए शुरुआत में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या कोई मामला प्रमाणपत्र की रिट या यथास्थिति वारंट जारी करने के लिए बनाया गया है।

हालांकि, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक रिट ऑफ क्वो जारी करने के लिए 9 148 एस. डब्ल्यू. 2 डी 527,529,530: 347 मो. 484

10 102 एस. डब्ल्यू. 2 डी 937,938: 340 मो 865

1 1 (2003) 4 एस. सी. सी. 712 भारती रेड्डी बनाम।

प्रावधान हों या न हों। यह जांच का सीमित दायरा है। अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा आय और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के तरीके या उससे संबंधित किसी भी मामले के बारे में अपीलार्थी द्वारा दिए गए दावे या बचाव या स्पष्टीकरण के गुण-दोष की जांच नहीं करनी चाहिए, जो जाति की वैधता के बारे में जांच के लिए मुद्दा हो सकता है। 1990 के राज्य अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत गठित क्षेत्राधिकार वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यह जांच हो सकती है

इसमें अपीलार्थी द्वारा लिए गए रुख की वैधता सहित सभी तथ्यात्मक पहलुओं की जांच की आवश्यकता है।

32. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम जगदीश बलराम बहिरा और

अन्य 1 4, प्रश्न जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में था जिसे क्षेत्राधिकार जांच द्वारा किए गए सत्यापन के बाद अमान्य कर दिया गया था। समिति। यदि जाति सत्यापन समिति उचित सत्यापन के बाद अपीलार्थी को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करती है, तो उक्त निर्णय में टिप्पणियों का कुछ महत्व हो सकता है। वास्तव में, जाति सत्यापन समिति के समक्ष जांच 1990 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में आगे बढ़नी चाहिए और इस न्यायालय के कथन को माधुरी पाटिल बनाम आयुक्त में शामिल करना चाहिए। , जनजातीय विकास 1 5.

33. राजेश अवस्थी बनाम नंद लाल जैसवाल और Ors.[1] मामले में अदालत ने कहा कि नियुक्ति के समय यथास्थिति बनाए रखने का आदेश होगा।

14 (2017) 8 एस. सी. सी. 670 15 (1994) 6 एस. सी. सी. 241

16 (2013) 1 एससीसी 501 [2018] 3 एस. सी. आर.

34. हमने इस निर्णय के पहले भाग में उनमें से कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है। पर्याप्त है, यह अवलोकन करने के लिए कि जब तक न्यायालय नहीं है इस बात से संतुष्ट कि पदधारी लोक पद पर नियुक्त या निर्वाचित होने के लिए वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बिल्कुल भी पात्र नहीं था या वह /

उसने उक्त पद पर बने रहने के लिए अयोग्यता का सामना किया है, जिसकी संतुष्टि निर्विवाद तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, उच्च न्यायालय को यथास्थिति की याचिका जारी करने के अनुरोध पर विचार नहीं करना चाहिए। वारंटी।

35. के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने दो प्रश्नों की जांच की, जैसा कि रिपोर्ट किए गए फैसले के पैराग्राफ 9 में उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है:

" 9. बाद के पैराग्राफ में व्याख्या की गई प्रस्तुतियों के आलोक में, इस मामले में विवादास्पद मुद्दे हो सकते हैं

निम्नलिखित तरीके से तैयार किया गया:

(i) क्या अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) संवैधानिक रूप से मान्य हैं क्योंकि वे इन के पक्ष में आरक्षण को सक्षम करते हैं -

1 7 (2006) 11 एस. सी. सी 731 18 (2010) 9 एस. सी. सी. 655

1 9 19 (2011) 4 एस. सी. सी. 1 भारती रेड्डी बनाम।

कर्नाटक राज्य और ओआरएस [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पंचायतों और नगर पालिकाओं में क्रमशः सीटों और अध्यक्ष पदों पर कब्जा करने के उद्देश्य से पिछड़े वर्ग?

(ii) क्या अनुच्छेद 243-डी (4) और अनुच्छेद 243-टी (4) संवैधानिक रूप से मान्य हैं क्योंकि वे आरक्षण को सक्षम करते हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद

क्रमशः? "

न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य न केवल शासन को लोगों के करीब लाना है, बल्कि इसे अधिक सहभागी, समावेशी और कमजोर वर्गों के प्रति जवाबदेह बनाना भी है।

समाज। न्यायालय ने कहा कि स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का उद्देश्य केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय पूरे समुदाय को सीधे लाभ पहुंचाना है। यही कारण है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में "मलाईदार परत" का बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। इसने यह भी कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए आरक्षण के संदर्भ में "क्रीमी लेयर" का बहिष्कार संभव होने के साथ-साथ वांछनीय भी हो सकता है, लेकिन इसी सिद्धांत को स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में नहीं बढ़ाया जा सकता है। हम ध्यान दे सकते हैं कि यह निर्णय अपीलार्थी के लिए 2017 की रिट याचिका संख्या 108700 में उच्च न्यायालय के समक्ष अपने उपचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक हो सकता है, जिसमें आरक्षित श्रेणी के खिलाफ "मलाईदार परत" के बहिष्करण के लिए दिनांकित अधिसूचना के खंड (ii) की वैधता पर सवाल उठाया गया है। हालाँकि, हम बिना किसी हिचकिचाहट के रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के तर्क को न्यायोचित रूप से अस्वीकार कर दिया था, जो उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित रिट याचिका में दी गई अंतरिम राहत पर आधारित था, इस आधार पर कि वह ऐसी कार्रवाई को मान्य नहीं कर सकता है जो अवैध थी ताकि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव किया जा सके।

26 अप्रैल, 2016 को आयोजित किया गया। हमारा कोई राय व्यक्त करने का इरादा नहीं है।

किसी भी तरह से उस कार्यवाही में लंबित मुद्दों पर, जो इस अपील का विषय नहीं हैं। उच्च न्यायालय उस रिट याचिका पर कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। 36. हालाँकि, इससे उस निष्कर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस पर हमें इस मामले में पहुंचना चाहिए कि उच्च न्यायालय एक आदेश जारी नहीं कर सकता था।

जब तक अपीलार्थी के पक्ष में जारी आय और जाति प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर उसने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में भाग लिया और निर्वाचित हुई, को जाति जांच समिति द्वारा अमान्य या अमान्य घोषित नहीं किया जाना था, तब तक यथास्थिति वारंट की रिट। हम अन्य आनुषंगिक पहलुओं/तर्कों पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसका ऊपर उल्लिखित निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. इस प्रकृति के मामले में, उच्च न्यायालय ने खुला रखा है

आय और जाति प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में मुद्दा जो क्षेत्राधिकार वाली जाति सत्यापन समिति द्वारा तय किया जाना है और प्रमाण पत्र को शुरू से ही अमान्य घोषित करने या ऐसा करने का विकल्प चुनने का कोई कानूनी आधार नहीं मिलने के कारण, जाति सत्यापन समिति को जांच में तेजी लाने और समयबद्ध तरीके से इसे समाप्त करने का निर्देश देना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम ने केवल अवधि बढ़ाई है सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस मुद्दे पर विचार करना और पक्षकारों को टालने योग्य कार्यवाही में उलझाना।

38. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसलों को दरकिनार कर देते हैं

जो वर्तमान अपील में आक्षेपित हैं। तथापि, हम प्रत्यर्थी 6 से 9 द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हैं, जो 2016 की रिट याचिका संख्या 106417 है, केवल जाति सत्यापन समिति को प्रत्यर्थी संख्या द्वारा अपीलार्थी को जारी आय और जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में जांच में तेजी लाने का निर्देश देते हुए। 5 और इसे अधिमानतः दो महीने के भीतर समाप्त करें और उसी समय के भीतर अपीलार्थी को अपने अंतिम निर्णय के बारे में भी सूचित करें। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि जाति जांच समिति मामले का फैसला अपनी योग्यता के आधार पर और विवादित निर्णयों में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार करेगी। इसके अलावा, यह ठोस कारणों को दर्ज करके अपने समक्ष उठाए गए प्रत्येक विवाद से निपटेगा।

39. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन